रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052021-227213
CG-DL-E-28052021-227213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943
No. 283] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/JYAISHTHA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

सा.का.नि. 349(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सहायक, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2017 की अनुसूची में, स्तंभ (10) और स्तंभ (11) के अधीन, उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात:-

"10	11
(i) सड़सठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने	**प्रोन्नति:** वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 4 (रु.25500 -81100) में ऐसा उच्च श्रेणी लिपिक जिसने उस

	पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; और	श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो और जिसने विभाग द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हो; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रु. 29200-92300) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री सहित प्रशासन और स्थापना कार्य में दो वर्ष का अनुभव हो। **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा अल्पकालिक (संविदा सहित) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।"
(ii)	तैंतीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	

[फा. सं. ए-12018/7/2019-एडी.ईडी]

विवेक मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 244(अ), तारीख 15 मार्च 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant, Group 'B' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Assistant, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2017, under columns 10 and 11, for the entries relating thereto, the following entries shall be substituted, namely:-

"**10**	**11**
(i) Sixty-seven per cent. by promotion failing which deputation; and (ii) thirty-three per cent. by direct recruitment.	**Promotion:** Upper Division Clerk in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with ten years regular service in the grade and have successfully completed two to four weeks training in the relevant field as prescribed by the department. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short terms contract):** Officers of the Central Government or State Governments or Union territories: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing bachelor's degree from a recognised University or institution with two years experience in administration and establishment work. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The Period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years.

	Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications”.

[F. No. A-12018/7/2019-Ad.ED]

VIVEK MISHRA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-Section (i), vide number of G.S.R 244(E), dated the 15th March 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.05.28 19:46:56 +05'30'